संप्र०सं०–9/आ०–01–04/2024

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

!!संकल्प!!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि **डा० राज किशोर सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलवारीशरीफ, पटना** के पदस्थापन काल में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप जैसा कि आरोप पत्र मे अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त **डा० सिंह** के विरूद्ध अनुबंध मे वर्णित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन विभागीय कार्यवाही सचालित की जाए।

2. विभागीय कार्यवाही के सचालन हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एव अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अधीन **डा० राम नारायण चौधरी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सचालन पदाधिकारी तथा **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार** को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. डा० सिंह से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के अन्दर अथवा किसी भी समय जैसा कि सचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री की सहमति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प एक प्रति सचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एव आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–01–04/2024(स्वा०)........................../ पटना, दिनांक :...................................

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यो की प्रति सहित **डा० राम नारायण चौधरी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जॉच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगें।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–01–04/2024(स्वा०)........................../ पटना, दिनांक :...................................

प्रतिलिपिः–आरोप पत्र एवं साक्ष्यो की प्रति सहित **प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–09, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना** (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–01–04/2024(स्वा०)653(9)**/ पटना, दिनांक :** 13.6.25

प्रतिलिपिः–**डा० राज किशोर सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फलवारीशरीफ, पटना** को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

13/06/2025
सरकार के अवर सचिव।